

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 329

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 14.10.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पापलाखुड व भू.अ. नि. पापलाखुड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पापलाखुड व मोतीदरा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 27, 135, 85 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>पापलाखुड</u>	<u>27</u>	<u>272, 272/5</u>	<u>लाली देवी</u>	<u>लाली देवी</u>
	<u>—</u>	<u>135</u>	<u>420/262</u>	<u>पुत्री</u>	<u>पुत्री</u>
	<u>मोतीदरा</u>	<u>85</u>	<u>311/195</u>	<u>प्रागाराम</u>	<u>प्रागाराम</u>

समदरसिंह

(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 14.10.25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 330-332
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालन रिपोर्ट उपलब्ध करावे।
2. प्रार्थी लाली देवी / प्रागाराम तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी